

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर
पत्रांक / 14-1 रामपुर दिनांक 28 जनवरी 2017
सेवा में 1598

श्री अरुण ठाकले
वरिष्ठ मण्डल रिटेल सेल्स प्रबन्धक
इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड(एम0डी0)
बरेली मण्डल कार्यालय
तहसील आंवला जिला बरेली-243301

विषय - जनपद रामपुर में रामपुर-केमरी (ओ0डी0आर0-20) रोड किमी0 13 चैनेज 13.352 पर ग्राम जानू नागर तहसील मिलक के खसरा/ गाटा संख्या 750 पर इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड बरेली के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बंध में।
सन्दर्भ- प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय कृते जिलाधिकारी, रामपुर का पत्रांक 223/जे0ए0-2 दिनांक 12.1.2017

महोदय,
उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग वन संरक्षण अधिनियम -1980 यथा संशोधित -1988 की धारा 2 को आकर्षित करता है, के क्रम में प्रश्नगत मार्ग से सम्पर्क मार्ग के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति नियमानुसार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार से प्राप्त की जाती है। दिनांक 14.8.2015 अर्थात् 15.8.2015 के उपरान्त संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु Ministry of environment of forest and climate change की website forestclearance.nic.in पर user agency द्वारा आनलाइन प्रस्ताव upload करने की व्यवस्था है। कृप्या विषयक पट्रोल/डीजल पम्प याचक विभाग के फार्म ए को अपलोड करने का कष्ट करें। आन लाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

1598
पत्रांक / 14-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय कृते जिलाधिकारी, रामपुर का उनके पत्रांक 223/जे0ए0-2 दिनांक 12.1.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।